मानवाधिकार खातरि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त सबहि के लेल मानवाधिकार मानवाधिकार घोषणा के पचासवां वर्षगांठ

1948 . 1998

10 दसिंबर, 1948 के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाएल गेल आओर घोषति मानवाधिकार

प्राक्कथन

सबहि के ओकर उचित सम्मान आओर मानव परिवार के सभे आदिमी के बराबरी के हक ही विशिव समुदाय के अजादी, न्याय आओर शांति के बुनियाद हवे।

मानवाधिकार के उल्लंघन हरदम अमानवीय काज के कारणो होखेला जा के चलते मानवता के अंतःकरण दुःखी होखेला। एक आम आदिमी के सबसे बड़ा इच्छा इहे होखेला कि दुनिया में ओके भाषण और विचार के आजादी मिल साथ हिंडर आओर इच्छा से हो मुक्तिमिलि।

यदि केंहु तानाशाही चाहे दमन के खिलाफ अंतिम हथियार के रूप में बगावत करे खातिर मजबूर ना होए, त ओकरा खातिर कानून के मार्फत ओकर मानवाधिकार के बचावे के इंतजाम होबे के चाही। इहो जरूरी हवे कि राप्ट्र सब के बीच दोस्ती बढ़ाएल जाए।

संयुक्त राष्ट्र के लोगिन आपन चार्टर में मौलिक मानवाधिकार, मानव के सम्मान आओर उपयोगिता तथा आदिमी आओर औरत के बराबर अधिकार खातिरे आपन विश्वास जतौलन हउ। साथहर्डि लोगनिस्वतंत्रता के माहौल में सामाजिक प्रगति तथा जीवन के स्तर के बढ़ावे के भी दृढ़ निश्चय कएलन ह।

साथ ही सदस्य राप्ट्र सब संयुक्त राप्ट्र के मदद से मानवाधिकार आओर मौलिक स्वतंत्रता खातिर लोगिन में मान बढ़ावे के भी संकल्प लेलन हा

ओही खातरि ए संकल्प के पूरा करे के खतरि ई सब अधिकार आओर स्वतंत्रता के समझ सबसे जरूरी बा।

अब, एही खातरि महासभा ई ऐलान करता कि मानवाधिकार के ई घोषणा के सभे लोग आओर सभे राप्ट्र पालन करे। सभे व्यक्त आओर समाज के सब अंग हरदम इ घोषणा के आपन दिमाग में रखे। संयुक्त राप्ट्र के सदस्य राप्ट्र के लोगिन के बीच चाहे हुनी के अधिकार क्षेत्रा में रहे वाला लोगन के बीच प्रगतिशिली कदम या शिक्षा के जरिए इ अधिकार और स्वतंत्रता के प्रतिमान जगाएल जाए।

सबहि लोकानि आजादे जम्मेला आओर ओखिनियोि के बराबर सम्मान आओर अधिकार प्राप्त हवे। ओखिनियीि के पास समझ-बूझ आओर अंत:करण के आवाज होखता आओर हुनको के दोसरा के साथ भाईचारा के बेवहार करे के होखला।

अनुच्छेद 2

बिना कोनो जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक आओर दोसर मान्यता, राष्ट्रीयता चाहे सामाजिक मूल, धन-संपत्ति, जन्म वा दोसर स्थिति के भेदभाव के सभे कोई घोषणा में लखिल अधिकार आओर आजादी के हकदार होई।

एतबे ना कौनो देश मुलिक या क्षेत्रा के राजनीतिक न्यायिक आओर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर केंद्रू के संग भेदभाव नइखे कएल जा सकेला। चाहे ओ कौनो स्वतंत्रा, टघ्स्ट चाहे स्वायत्राता के कौनो मानदंड के अंतर्गत आवे वाला संस्था के सदस्य हो।

सबहि के जीवन जीए के आजादी आओर अपन सुरक्षा के अधिकार हवे।

अनुच्छेद 4

केहु के गुलाम बना के नइखे राखल जा सकेला। कौनो रूप में गुलामी आओर गुलाम सब के व्यापार पर सख्त पाबंदी हवे।

अनुच्छेद 🛭

काहु के साथ घ्र, अमानवीय चाहे घृणति बेवहार नइखे कईल जा सकेला। काहु के न तो सतावल जा सकेला आओर न सजा देल जा सकेला।

अनुच्छेद 6

कानून के सामने सबह िक सभे जगह एके आदिमी के रूप में पहिचाने जाए के अधिकार हा

कानून के सामने सभे बराबर हवे आओर कानून से बिना कौनो भेदभाव के समान संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार मलिल हवे। साथहिए घोषणा के उल्लंघन या भेदभाव होए की स्थिति में सबहि के समान संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार हा

अनुच्छेद 8

संविधान या कानून से मलिल मौलिक अधिकार के उल्लंघन भइला पर सबह िक कोनों योग्य राष्ट्रीय संगठन से क्षतिपूर्ति प्राप्त करे के अधिकार बा।

अनुच्छेद 9

केंद्व के बिना कोनो कारण के कैंद्र, अज्ञातवास या देशनिकाला नइखे देल जा सकेला।

अनुच्छेद 10

केंद्र के खिलाफ अपराधिक मामला होखे चाहे केकरो अधिकार और कर्तव्य के निर्धारण के सिलसिला में कौनो सुवतंत्रा आओर निष्पक्ष संगठन के सामने निष्पक्ष सुनवाई खातिर समान अधिकार हवे।

अनुच्छेद 11

कानून के नजर में जब तक ले केह दोषी नइखे तब तक ले ओके निर्दोष समझे के चाही। चाहे ओकरा के खिलाफ कौनो अपराधिक मामला ही काहे ना चल रहल होए। इ सुनवाई के दरम्यान आपन बचाव के लेल ओकरा पूरा-पूरा हक भी मलिल बा।

कौनो राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर कौनो काम के दंडनीय अपराध नइखे मानल जा रहल होखे तब कोनो आदिमी के ओ काम के खातरि दोषी नइखे कहल जा सकता।

अनुच्छेद 12

केकरो नीजिजीवन, परविार, घर तथा पत्रााचार आदिमिं केकरो दखल करे के अधिकार नईखे ह। सबहि के ए तरह के दखल आओर हमला के बिरुष्कानून से संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार ह।

अनुच्छेद 13

सभे लोगनि के आपन मुलुक के सीमा के अंदर घर आओर एक जगह से दोसर जगह जाए के अधिकार हड।

सबहि के कौनो देश, एइजा तक कि आपन देश से हो छोड़े के आओर वापस आवे के अधिकार हा

अनुच्छेद 14

प्रताड़ना से बचे खातरि दोसर देश में संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार हवे।

लेकनि इ अधिकार के उपयोग वैसन प्रताड़ना में नइखे कईल जा सकेला जे गैर राजनीतिक अपराध आओर संयुक्त राष्ट्र के उघ्श्य आओर सिर्घत के खिलाफ कईल गेल काज खातरि मिल रहल होखे।

अनुच्छेद 15

सबहि के राष्ट्रीयता के अधिकार हवे।

केंद्व के राष्ट्रीयता से वंचित नइखे कई जा सकेला आओर ना ही राष्ट्रीयता बदले के स्थिति में अधिकारो से बेदखल कईल जा सकेला।

जाति, राष्ट्रीयता आओर धर्म के बंधन से मुक्त कौनो बालिंगे आदिमी आओर औरत के बियाह आओर गृहस्थी बसावें के अधिकार हवे। दुनू के बियाह के समय, गृहस्थ जीवन के दरम्यान आओर बियाह टूट जाए के बादो बराबरी के अधिकर ह।

बियाह दुनू के मर्जी आओर सहमति से ही होए के चाही।

परिवार समाज के एगो प्राकृतिक और मौलिक इकाई ह। आओर ओके समाज और मुलुक से पूरा संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार हवे।

अनुच्छेद 17

केहु अकेले चाहे केकरो संगे मिल के संपत्ति अर्जित कर सकता।

केहु के ओकर संपत्ति से बेदखल नइखे कईल जा सकत ह।

अनुच्छेद 18

सब लोगनि के सोचे के आओर कौनो धर्म अपनावे के अधिकार हवे तथा ओ आपन धर्म और मान्यता में भी बदलाव ला सकेला। संगे ओ अकेले आओर समूह में कौनो सार्वजनिक या नीजिजगह पर आपन धर्म या विश्वास के पालन, प्रवचन आओर पूजा−पाठ के जरिए कर सकेला।

अनुचछेद 19

सबहि के बिचार आओर अभिविक्ति के अधिकार हवे। आओर ओकर ई बिचार में कौनो दखल ना हो सकता, संगे ओ संचार के कौनो साधन के जरिए कही से कैसनो सूचना आओर बीचार प्राप्त कर सकेला।

अनुच्छेद 20

सबह िक शांतपिरुण तरीका से जमा होवे के तथा कोनो संगठन में शामिल होए के अधिकारी हा

तथा केंद्र के कौनो संगठन में जर्बदस्ती शामलि नइखे कराएल जा सकेला।

अनुचछेद 21

सब लोगीन के सरकार में हिस्सा लेवे के अधिकार हवे न त सीघे-सीघे न त आपन मर्जी से चुनल प्रतिनिधि के मार्फत आपन देश के जन सेवा के उपयोग करे के अधिकार हवे।

आम लोगीन के इच्छा ही सरकार के ताकत के आधार होखेला आओर इ जब-तब होए वाला स्वतंत्रा आओर निष्पक्ष चुनाव के जरिए, जेकर आयोजन गुप्त मतदान या फेर स्वतंत्रा प्रघि से होखता।

[missing?]

अनुच्छेद 22

समाज के हरेक आदिमी के सामाजिक सुरक्षा के अधिकार हवे। साथहि देश के आर्थिक, सामाजिक आओर सांस्कृतिक अधिकार के उपयोग करे के अधिकार ह, जे ओकर व्यक्तिष् के उपयोग राष्टिषय प्रयास आओर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव हो सकेला जे ओ राष्ट्र के संसाधन ओओर संगठन पर निर्भर करता।

अनुचछेद 23

सबह िक काम करे के तथा रोजगार चुने के अधिकारो वा औरि बेरोजगारी से ओकर सुरक्षा के गारंटी ओ होखे के चाही। इ न्यायसंगत तथा सुविधाजनक परिस्थितियीं में काम करे के अधिकार बा।

बिना कौनो भेदभाव के समान काज के लेल समान पैसा के अधिकार ह।

सबे जे काम करता ओकरा आपन तथा परिवार खातिर एगो न्यायसंगत आओर उचित पैसा पावे के अधिकार ह जेकरा से घ् सम्मानजनक जिंदगी वसर क सके। एकर अलावे सामाजिक संरक्षण के ओ साधन के उपयोग के ओ अधिकार वा जे ओकर कमाई बढ़ा सके।

एकरा सिवा आपन हित के सुरक्षा के खातरि मजदूर संगठन बनावे अथवा मजदूर संगठन में शमिल होखे के अधिकार बा।

अनुच्छेद 24

सबकरा के आराम तथा छुघु मनाबे के अधिकार वा तथा काज करे के समय के सेहो एक उचित सीमा वा तथा समय-समय पर वेतन सहति छुघे कि उपभोग करे के अधिकारो वा।

अनुचछेद 25

सबह िक आपन तथा आपन परिवार के स्वास्थ्य आओर कुशलता खातिर एक उचित स्तर पर जीवन-यापन के ठीक-ठीक इंतजाम होखे के चाहीं। बढ़िया जीवन-स्तर होखे खातिर ओकनि के भोजन, कपड़ा, घर, उचित इलाज आओर आवशयक सामाजिक सेवा ओ शामिल ह।

एकरा अलावे बेरोजगारी, बिमारी, अपगंता, वैधव्य, बुढ़ारी एवं ऐसन हालत जे पर ओकर निर्यात्रण नद्दखे, ओ से ओकरा सुरक्षा पावे के अधिकार हड। औरत और बच्चा के अलगे सुविधा आओर सहायता पावे के अधिकार वा। सबह बिच्चन के चाहे ओकर जन्म कानूनी बियाह के अन्तर्गत भईल हो चाहे बिना बियाह के, समाजिक सुरक्षा मिल के चाही।

अनुच्छेद 26

सबे के शिक्षा प्राप्त करे के अधिकार बा, कम से कम प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा तड मुघ्त होखे के चाही। तकनीकी आओर व्यवसायिक शिक्षा सबहु के मिल तथा योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा पर सभे के अधिकार हा

शिक्षा आदिमी के व्यक्ष्पि के विकास में सहायक होखे के चाही तथा ऐसन होखे के चाही जे लोगीन के मन में मानवाधिकार आओर बुनियादी स्वतंत्रता के प्रतिमान के भावना के मजबूत करे। शिक्षा सबे देश, जाति आओर धार्मिक समृह के बीच आपसी समझ-बूझ, सहनशीलता तथा भाइचारा और शांति के स्थापना खातिर संयुक्त राष्ट्र के गतिविधि के बढ़ावे में भी सहायक होखे।

माई-बाप लोगनि के आपन बच्चा खातरि सही शिक्षा चुने के अधिकार ह। अधिकार ह।

अनुच्छेद 27

सबहि के आपन समाज के सांस्कृतकि कार्यघ् में हिस्सा लेवे के तथा कला के आनंद उठावे के अधिकार वा संगे वैज्ञानकि प्रगति में भगीदार बने तथा फायदा उठावे के अधिकार बा।

सबह िलोकनि के आपन वैज्ञानिक, साहित्यिकि आओर कलात्मक कृति जे घ्लखिले बा, के नैतिक आओर भैतिक हित के संरक्षण के अधिकार बा।

अनुच्छेद 28

सबहि के इ घोषणा में निर्धारित अधिकार आओर आजादी के सामाजिक आओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पावे के अधिकार बा।

अनुचछेद 29

सभे के आपन समुदाय के प्रतिकघ्र्व्य ह। जेकरा पूरा करे के बाद ही ओकर स्वतंत्रा और संपूर्ण विकास संभ हवे।

आपन अधिकार आओर आजादी के उपयोग कानून के सीमा के भीतर ही होखे के चाही ताकि हम दोसर के अधिकार और आजादी के भी उचित आदर कर सकी।

एहिं से एगो लोकतांत्रिक समाज में नैतिक, कानून और व्यवस्था और जन कल्याण के जरूरत के हम पूरा कर सकेली।

अनुच्छेद 30

ई घोषणा में लखिल कौनो अनुच्छेद के मतलब इ ना ह कि कौनो राज्य, समूह चाहे व्यक्ति कौनो ऐसन काज में शामिल होखे चाहे कौनो ऐसन काम करे, जेकरा से ए में लखिल अधिकार और स्वतंत्रता नष्ट होखे।